रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940
No. 91] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/PHALGUNA 16, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 28 फरवरी, 2019

सं. टीएएमपी/46/2018-एमयूसी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण सभी महापत्तन न्यासों और उनमें प्रचालित बीओटी प्रचालकों के दरमानों में दिल्ली – मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा प्रदान की जा रही संभार डाटा बैंक सेवा के लिए कंटेनरों पर अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार (एमयूसी) की उगाही के लिए वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का विस्तार इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/46/2018- एमयूसी

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फ़रवरी 2019 के 25 वें दिन पारित)

मामला सभी महापत्तन न्यासों और उनमें प्रचालित बीओटी प्रचालकों के दरमानों में दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) द्वारा प्रदान की जा रही संभार डाटा बैंक (एलडीबी) सेवा के लिए कंटेनरों पर अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार (एमयूसी) की उगाही के लिए वर्तमान प्रशुल्क की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1. डीएमआईसीडीसी द्वारा प्रदान की जा रही एलडीबी सेवा के लिए कंटेनरों पर वर्तमान लेवी का इस प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या टीएएमपी/46/2018-एमयूसी दिनांक 08 जून, 2018 के द्वारा दिया गया अनुमोदन 31 मार्च 2019 तक वैध है। यह आदेश 03 जुलाई 2018 के भारत राजपत्र में राजपत्र संख्या 248 के अंतर्गत अधिसूचित हुआ था। डीएमआईसीडीसी ने

14 जनवरी, 2019 के अपने पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए एमयूसी के नवीकरण का प्रस्ताव दायर किया है। इस मामले को एक अलग प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया है और इसे सभी महापत्तन न्यासों और उनमें परिचालित सभी निजी कंटेनर टर्मिनलों से इस समय लागू परामर्श प्रक्रिया के अनुसार परामर्श के लिए लिया गया है।

2.2. संदर्भाधीन मामले में निहित पैन- इंडिया परामर्श को देखते हुए, मामले में दो विभिन्न स्थानों पर अर्थात् मुंबई में इस प्राधिकरण के कार्यालय में 25 फरवरी 2019 को और 01 मार्च, 2019 को चेन्नई पत्तन न्यास में संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया था।

3. इसी बीच, एमओएस ने 15 फरवरी, 2019 के अपने पत्र संख्या पीडी-14033/34/2017-पीडी.v के द्वारा इस प्राधिकरण को एमयूसी की लेवी के नवीकरण पर सभी महापत्तनों के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ताकि यह 31 मार्च 2019 तक अधिसूचित हो जाये।

4. एमयूसी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो रही है। हितधारकों द्वारा किये गए निवेदनों को विश्लेषण करने और इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम सुविचार के लिए प्रस्ताव के परिपक्व होने को ध्यान में रखते हुए इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2019 से पहले डीएमआईडीसी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर एमयूसी प्रभारों को अधिसूचित करने का आदेश पारित करना संभव नहीं है। इस स्थिति और प्रशुल्क में शून्यता से बचने को देखते हुए यह प्राधिकरण सभी महापत्तन न्यासों और उनमें प्रचालन बीओटी प्रचालकों के दरमानों में दिल्ली – मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) प्रदान की जा रही संभार डाटा बैंक सेवा के लिए कंटेनरों पर अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार (एमयूसी) की उगाही के लिए वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का विस्तार करने को प्रवृत्त है।

5. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण **31** मार्च **2019** से आगे तीन महीने की अवधि के लिए यानी **1** अप्रैल, **2019** से **30** जून **2019** तक अथवा डीएमआईसीडीसी द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर एमयूसी की लेवी के लिए नियत किये जाने वाले नए प्रशुल्क के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, एमयूसी के वर्तमान प्रशुल्क अथवा लेवी की वैधता का विस्तार करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./568/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th February, 2019

No. TAMP/46/2018-MUC.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers for the Logistics Data Bank Service rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/46/2018-MUC

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 25th day of February, 2019)

This case deals with the extension of the validity of the existing tariff towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers for the Logistics Data Bank (LDB) Service rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat.

2.1. The existing levy approved by this Authority on container for the LDB service rendered by DMICDC is valid till 31 March 2019 vide Order No. TAMP/46/2018-MUC dated 08 June 2018 notified in the Gazette of India vide Gazette No. 248 dated 03 July 2018. The DMICDC vide its letter dated 14 January 2019 has filed a proposal for renewal of MUC of DMICDC's LDB services for the financial years 2019-20, 2020-21 and 2021-22. The case has been registered as a separate tariff case and has been taken on consultation with all the Major Port Trusts and all Private Container Terminals Operating thereat as per the procedure in vogue.

2.2. Considering the Pan-India consultation involved in the case in reference, joint hearing scheduled on the case at two different venues i.e. at the office of this Authority in Mumbai on 25 February 2019 and on 01 March 2019 at Chennai Port Trust.

3. In the meanwhile, the MOS vide its letter No. PD-14033/34/2017-PD.V dated 15 February 2019 has requested this Authority to take necessary action to renew the levy of MUC in consultation with all Major Ports so that the same may be notified before 31 March 2019.

4. The validity of the existing tariff of MUC is getting expired on 31 March 2019. Considering that the time required for analysing the submissions made by stakeholders and for the proposal to mature for final consideration of this Authority, it may not be possible for this Authority to pass an order notifying MUC charges based on the proposal filed by DMICDC, before 31 March 2019. In view of this position and in order to avoid a vacuum in the tariff, this Authority is inclined to extend the validity of the existing tariff towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers for the Logistics Data Bank (LDB) Service rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat.

5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing tariff for levy of MUC for a period of three months beyond 31 March 2019 i.e. from 1 April 2019 to 30 June 2019 or till the effective date of implementation of new tariff to be fixed for levy of MUC based on the proposal filed by DMICDC, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./568/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.12 11:56:02 +05'30'